



फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

वनाम लाइ

रम मुकदमा ..... 111-128 ..... नं० 174 सन् 2022

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
12	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 13.12.22 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
2-22	<p>पत्रावली दिनांक 13.12.22 को पेश हो।</p>	
2-22	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य रूक कर रखने से पत्रावली दिनांक 12.12.22 को पेश हो।</p>	
2-22	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाखिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण को रुक-रुक कर डित्कीवार डावाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। उनके विकल्प एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का आदेश पत्र स्वीकार किया जाकर शिर्षप धुषक से लिखा जाकर शाखिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फलतः सुगार लेकर मन्तर से पत्रा है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 174/22 प्रा0पत्र

हासु 0/0 श्री हवलाल जाट निवासी- लेसवा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

हासु 0/0 श्री मांगू जाट निवासी- लेसवा तहसील-माण्डल  
 डल्लु 0/0 श्री मांगू जाट निवासी- लेसवा तहसील-माण्डल  
 मती गोदापरी 0/0 गोपी राव निवासी- लेसवा तहसील-माण्डल  
 रत्नबाबू 0/0 पारिण तहसीलदार-माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22


::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन  
 कि ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके  
 पत खाते की आराजी नं. 239, 240, 241 कुल कित्ता 05 रकबा 1.4543  
 धत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये  
 संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की  
 के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
 प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का  
 है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते  
 कि न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार  
लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 236, 239, 240, 241, 249  
0.5 रकबा 1.4543 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी  
 हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख  
नाश को 600/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने  
 की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार  
 पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
 की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 माण्डल जिला भीलवाड़ा